न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 07 / 2020

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. हकीम खांन पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड न0 28 अगुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू ।
2. इनायत खां पुत्र रहमत खां कायमखानी निवासी वार्ड न0 28 अगुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू ।
3. मोबीना बानो पुत्री भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू ।
4. रोशनी बानो पुत्री भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू ।
5. सुभानखां पुत्र भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू ।
6. सरवरबानो पुत्री भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू ।
7. हलीमा पत्नी भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. तहसीलदार चूरू
2. श्री सुरेन्द्र राहड़ अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 के विरूद्ध अपील

अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955

निर्णय दिनांकः—26.03.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टयर रोही कस्बा चूरू में स्थित है । जिसका खाता विभाजन 10.07.2020 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें कानूनी त्रुटि रह जाने से उक्त त्रुटि व दोष को दुर करने के लिये यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् ने अपने अपील मीमो में कथन किया है कि कृषि भूमि ख0न0 805 जिसके नये नम्ब्र ख0न0 2534/805 व 2535/805 अविभाजित है इन खसरो नम्बरों में कोई बंटवारा नही हुआ है जिसमें पत्थर गढी मौके पर विभाजन तारबंदी बाड़ किये जाने के आदेश वादी/रेस्पो0 द्वारा डिक्री चाही गयी थी जिस हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2020 सीमाकन करवाये जाने बाबत पेश किये गये थे । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार के विरूद्व वाद कारण उत्पन किये बिना ही व कानून के अहम बिन्दू को दरकिनार करते हुए दावा का निस्तारण कर प्रारम्भिक व अंन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी और नायब तहसीलदार चूरू द्वारा अपने हस्ताक्षर करके प्रारम्भिक विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमे कानून त्रुटि रह जाने से उक्त त्रुटि व दोष को दूर करने तथा पत्रावली में आगामी आदे"ा पारित करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 15.10.2020 को प्रस्तुत किया लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना निर्णय किये असल प्रार्थना पत्र वापस लौटा दिया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी का निर्णय किया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न किया जाकर सीधा ही निर्णय पारित कर कानूनन भूल की है । अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनाक 17.07.2020 को अपास्त करवाने का श्रम करावे।
3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक न अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि ख0न0 805 जिसके नये नम्ब्र ख0न0 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टयर रोही कस्बा चूरू में रेस्पो0/वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादी सं0 4, 5 ता 9 के खातेदारी हिस्सो की कृषि भूमि का खाता विभाजन मौके के कब्जा अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी रेस्पो0/वादी के द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया मौका व कब्जा काश्त के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री [illegible] कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो कि नायब तहसीलदार द्वारा तैयार [illegible] गया जो सभी पक्षकारों की आपसी सहमति अनुसार किया गया था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर अतिंम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 पारित की गयी है । इस विभाजन प्रस्ताव से किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही रही इसके उपरांत भी तहसीलदार चूरू द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है जो निराधार है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 को यथावत रखा जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने उभय पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पर बहस सुनी व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की गयी । वादगत कृषि भूमि ख0न0 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टयर राही कस्बा चूरू कर खाता विभाजन सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर तैयार कर भिजवाया गया जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही रही है और इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिंम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 पारित की गयी है जिसमें इस न्यायालय को किसी प्रकार की त्रुटि नजर नही आती है और ना ही अपीलांट द्वारा अपनी अपील व पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि इस निर्णय से राजकीय हानि हुई हो । अपीलांट द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का निर्णय करने से पूर्व अतिंम निर्णय व डिक्री जारी करने की बात कही है । प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में 15.10.2020 को प्रस्तुत किया गया था जबकि अतिंम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 को ही पारित की जा चुकी थी ऐसी स्थिति में धारा 151 सीपीसी का बाद निर्णय पेश किया जाना निराधार है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील खारीज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 की पुष्टि की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दप्तर हो अधिनस्थ न्यायालय की मुल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested